

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत : सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर

जिला हनुमानगढ

रविन्द्र कुमार बनाम

महावीर आदि

किस्म मुकदमा : 212 आर.टी. एक्ट

प्रकरण संख्या 299/2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख फर्द अहकाम की हुक्म की तामील जारी हुआ
06.12.2024	<p>यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी की ओर से जरिये अधिवक्ता राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 212 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे ।</p> <p>वकील प्रार्थी की इकतरफा बहस सुनी । पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थना पत्र के संलग्न दस्तावेजों व शपथ पत्र के आधार पर प्रथम दृष्ट्या प्रकरण प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होता है ।</p> <p>अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज व शपथ पत्र के आधार पर इस आशय की अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि अप्रार्थीगण आगामी तारीख पेशी तक रोही मौजा 30 एनटीआर तहसील नोहर के खाता स0 33/32 की कुल 10.3730 हैक्ट भूमि में से पोककरराम के नाम दर्ज 2/7 हिस्सा भूमि में से प्रार्थी के हक हिस्सा की भूमि को रहन, बैय न करे। उक्त स्थगन विरासत^{al}नामान्तरण पर तथा चालु/ मंजूरशुदा/ कटानी रास्ता व मंजूरशुदा खाला पर लागू नहीं होगा। वकील प्रार्थी रजिस्टर्ड सम्मन पेश करे। पत्रावली वास्ते तलबी अप्रार्थीगण दिनांक 27.01.2025 को पेश हो।</p> <p>^{al} उपखण्ड अधिकारी नोहर</p> <p>10/25 वकील सायल (सायल व निवेदन पर पत्रावली पेश हुई वकील सायल व निवेदन विमा की प्रार्थना पर तलबी श्रिया आ गई है इसलिये संशोधन व साथ प्रार्थना पत्र पेश करना चाहता हूँ तथा प्रार्थना पत्र पेश करने की अनुमति व साथ श्रावण करमा व व्यायहित में वकील व प्रार्थना पत्र पेश करने की अनुमति व साथ श्रावण विमा-जाल के पत्रावली वरिष्ठ दफतर में</p> <p>^{al} उपखण्ड अधिकारी नोहर</p>	

